



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032024-253047  
CG-DL-E-15032024-253047

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 190]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 15, 2024/फाल्गुन 25, 1945

No. 190]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 2024/PHALGUNA 25, 1945

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2024

सा.का.नि. 203(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2024 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 की अनुसूची 2 की मद 6 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-

“6. वेतन मैट्रिक्स में 13क स्तर तक प्रतिनियुक्ति/पुनः नियोजन या प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) या सामामेलन या प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति (संयुक्त पद्धति) से भरे जाने वाले सभी समूह 'क' और समूह 'ख' पद”।

[फा. सं. -39018/03/2023-स्था.(ख)]

मनोज कुमार द्विवेदी, अपर सचिव

टिप्पण – मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 789 तारीख 13 सितंबर, 1958 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 502 तारीख 13 जुलाई, 2023 द्वारा किया गया।

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th March, 2024

**G.S.R. 203(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (3) of article 320 of the Constitution, the President hereby makes the following regulations further to amend the Union Public Service Commission(Exemption from Consultation) Regulations, 1958, namely:-\

1. **Short title and commencement:-** (1) These regulations may be called the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Amendment Regulations, 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Gazette.

2. In the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958, in Schedule-II, for item 6, the following item shall be substituted, namely:-

“6. All Group ‘A’ posts and all Group ‘B’ posts up to level 13A in the pay matrix, filled by the method of deputation/re-employment or deputation (including short term contract) or absorption or deputation/promotion (composite method)”.

[F. No. 39018/03/2023-Estt.(B)]

MANOJ KUMAR DWIVEDI, Addl. Secy.

**Note:** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 789, dated the 13<sup>th</sup> September, 1958 and last amended, *vide* notification number G.S.R. 502 (E), dated the 13<sup>th</sup> July, 2023.